आपराधिक कानून के सुधार के नाम पर गैर पारदर्शी कमिटी के विरोध में!

इस COVID जैसी महामारी के गंभीर वक्त और गुपचुप तरीके से कमिटी का गठन ठीक नहीं

जब पूरा देश कोविड महामारी से जूझ रहा है , और इस महामारी के कारण 40,000 से अधिक लोग ख़त्म हो चुके है, इस दौरान गृह मंत्रालय ने 4 मई 2020 को एक पाँच सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिसका उद्देश्य संविधान के 3 सबसे महत्वपूर्ण अधिनियमो-भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बदलाव लाना हैं। इन कानूनों को सुधारने की प्रक्रिया खुले विचारों , पूरे पारदर्शी ढंग के साथ और सबको सम्मिलित करते हुए होनी चाहिये थी, न कि गोपनिए ढंग से , गैर समावेशी और गैर पारदर्शी तारीके से । हम सब नागरिको को इस प्रयास को स्पष्ट तौर से खारिज करना होगा और "सुधार" के नाम पर किए जा रहे अधिनियमों में संशोधनों का एक टुक विरोध करना ही होगा!

- **आपराधिक कानून के सुधार के लिए कमेटी का प्रतिनिधिक होना आवश्यक है**– वर्तमान की कमेटी के पांचों सदस्य दिल्ली और मुंबई के रहने वाले पाँच परुष हैं – कमेटी में न कोई औरत, न आदिवासी, न ट्रांस व्यक्ति, न कोई धार्मिक अल्पसंख्यक व्यक्ति, ना कोई सामाजिक तौर कार्य करने वाले ज़मीनी व्यक्ति हैं। जिन समुदायों को पुलिस प्रशासन की सबसे ज्यादा मार झेलनी पड़ती है, उन समुदायों का इस प्रकार के सुधार के उदेश्य से बनी कमेटी में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, ऐसे में दबे कुचले , शोषित व्यक्ति और समुदाय के साथ ये कमेटी उनके हित के फैसले लेने में पूरी तरह से अक्षम साबित होने वाली नज़र आ रही है.
- **सालो पुराने महत्वपूर्ण अधिनियमों और विधित ढांचे को कोविड के बहाने नहीं बदला जाना चाहिये**– यह एक महत्वपूर्ण सवाल है कि गृह मंत्रालय ने इन अधिनियमों के सुधार संबंधित नोटीफीकेशन देश भर में लागू कोविड-19 महामारी के चलते तालाबंदी के समय क्यों निकाला ? यह विधिक परिवर्तन इस वक्त क्यों किए जा रहे हैं, जब कोर्ट मुश्किल से काम कर रहे हैं, सार्वजनिक सभाओं पर रोक है और वकीलो/आम नागरिक आजीविका की अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और बार असोसियशन काम नहीं कर पा रहे हैं।
- **सालो पुराने आपराधिक कानूनों की विवेचना के लिए पर्याप्त वक्त का होना जरूरी है**– कमेटी का उदेश्य भारत के संविधान के तीन सबसे महत्वपूर्ण अधिनियमों की एक तरह से काया पलट कर उनका नवीनीकरण करना है; ये अधिनियम जो की 150 वर्षों के लंबे स्थापित न्यायशास्त्र के इतिहास पर कायम हैं। कमिटी के इस लक्ष्य को महज 6 महीने की अवधि में पूरा करने का फरमान गृह मंत्रालय से जारी किया गया है । कोविड के समय के

अलावा भी सालो पुराने कानून को मात्र 6 माह में बदल पाना नामुमकिन मालूम होता है क्योंकि यह समय किसी भी व्यापक विमर्श की प्रक्रिया के लिए अपर्याप्त होता। कोविड महामारी के समय में इस 6 महीने की समय अवधि को देखते हुए लगता है की यह प्रक्रिया मात्र खाना पूर्ति है, एक धोका है और हो सकता है कि इस प्रक्रिया से निकलने वाली रिपोर्ट के जाँच-परिणाम पहले ही तय किए जा चुके हैं।

- **सार्वजनिक परामर्श अच्छी तरह से विज्ञापित, सभी को सम्मिलित और पारदर्शी रूप से किया जाना चाहिये**– वर्तमान कमेटी की सार्वजनिक परामर्श की प्रक्रिया न तो सार्वजनिक है और न ही परामर्शात्मक दृष्टिकोण से की जा रही है। कमेटी द्वारा सिर्फ दिल्ली के चुनिंदा वकीलों को ऑनलाइन विचार-विमर्श के लिए आमंत्रिक किया गया है। हालाकी बाकी "विशेषज्ञ" औपचारिक रूप से इस चर्चा का अपनी व्यक्तिगत पहल से हिस्सा बन सकते हैं, कमेटी की तरफ से ऐसे कोई प्रयास नहीं किए गए हैं जिससे बड़े पैमाने पर आम जनता और विभिन्न राज्यों के ज़िले के न्यायालयों में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता को इस विमर्श की प्रक्रिया में शामिल किया जाए और उनकी व्यापक भागीदारी सुनिश्चित हो। सारी सूचनायें, प्रश्नावली और विमर्श में भाग लेने के सारे आमंत्रण सिर्फ आंग्रेज़ी में जारी किए गए हैं। इस कमिटी की टर्म्स ऑफ़ रिफरेन्स आज भी गोपनीय हैं और इसके बारे में कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं करी गई है। यहाँ तक की जिन प्रशावली के आधार पर ये तथाकथित परामर्श किया जाना है,इनका जवाब 28 दिन में ऑनलाइन रेजिस्ट्रैशन करने के बाद जमा करना अनिवार्य है।
- **यह विधिक सुधार स्पष्ट डेटा के प्रमाण और स्पष्ट उदेश्य पर आधारित होना चाहिये**– शोध पर आधारित यथास्थिति के बारे में सूचित करते हुए रिसर्च पेपर, जिनके बाद ही सार्वजनिक परामर्श की प्रक्रिया शुरू की जाए , जिसमें विस्तृत वर्क्शाप शामिल हों और अन्य तरीके जिनसे लोगों और सारे हितग्राहियों से इस विचार-विमर्श को सकारात्मक रूप से किया जा सके, किसी भी विधिक सुधार की प्रक्रिया में उक्त सुझाव रुपी प्रयास किये जाने चाहिये।इसके पहले भी, कानून आयोग जैसे स्वतंत्र आयोगों ने व्यापक कदम उठाए हैं, जिनमें उन्होंने मौजूदा अधिनियमों में संशोधन के सुझाव दिए हैं। फिर अब क्यों इस प्रक्रिया को दर-किनार कर दिया गया है? बस इन्ही सब के चलते इस तथाकथित सुधार की गोपनीय प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे है.

आपराधिक दंड प्रणाली का असर पूरे देश के हम सब नागरिकों पर होगा! हमारे अपने मत की आवाज़ की जगह किसी भी सुधार प्रक्रिया में होनी ही चाहिये!

इस कमेटी के आड़ में होने वाले धोखे को हम नहीं मानते! इस कमेटी के गठन को खारिज करो! व्यापक सार्वजनिक परामर्श करना होगा!

जनहित में जारी: आपराधिक कानून सुधर समिति के खिलाफ नागरिक